

विशेष विवरण

आज्ञा विस्तृत रूप में

पनावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित/प्राप्ति की ओर से प्रेरित  
 सरकार (नाथ तहसीलदार, कोटपुतली) द्वारा रिपोर्ट एवं मौके की  
 वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। उभयपक्षों को सुना गया। प्रेरित  
 सरकार (नाथ तहसीलदार, कोटपुतली) ने अपने प्रकरण में वर्णित तथ्यों का  
 वर्णन करते हुए निवेदन किया कि आराजी विवादस्पद साबिक आराजी  
 खसरा नम्बर 25 रकबा 4 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 01, मंगलराम सुमानवन्त  
 रचनात्मक पुत्र नारायण राम निवासी बलबास तहसील कोटपुतली की  
 म-आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 27/02/1976 को आवंटन की  
 गयी थी। परन्तु आवंटन द्वारा उसको अलाटमेंट की गयी भूमि को कभी  
 कबिज होकर काइल नहीं की। जबकि म-आवंटन नियमों के अनुसार म-  
 आवंटन की गयी भूमि को तीन वर्ष में कबिज काइल की जाना आवश्यक है।  
 आवंटन नियमों की पालना नहीं होने के कारण आवंटन के हक में गैर  
 आवंटन/खतदारी स्वीकार नहीं की जा सकने के कारण उसका नाम  
 राजस्व रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया जा सका। यानि आवंटन स्वतः ही निरस्त  
 हो गया। तदनुसार उक्त आराजीयत के मौके पर खाली होने तथा राजस्व  
 अभिलेख में राजकीय भूमि विवायक दर्ज होने के कारण दिनांक  
 01/01/1993 को राजस्व अभिलेखिक विकास निगम (सीको) को आवंटित  
 कर दी गयी एवं राजस्व अभिलेख में भी उक्त विवादित आराजीयत तहसीली  
 अप्रार्थी संख्या 02 के नाम दर्ज कर दी गयी। आज भी उक्त आराजीयत  
 पर आवंटन अप्रार्थी संख्या का कोई कब्जा काइल नहीं है, बल्कि तहसील  
 अप्रार्थी संख्या का ही रिपोर्ट में नाम दर्ज है तथा कब्जा है, जो मौका रिपोर्ट  
 दिनांक 10/02/2017 अतः अपील से भी प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी  
 के हक है, सं किया गया आवंटन आदेश दिनांक 27/2/1976 निरस्त  
 करवाया जावे।

यद्यपि अप्रार्थी संख्या एक ने अपने जवाब के तथ्यों को  
 प्रेरित हुए प्रेरित सरकार के कथनों का खण्डन करते हुए बताया कि  
 आवंटन के पश्चात् आवंटन की गयी भूमि का कब्जा के पश्चात्  
 लगातार कबिज काइल है। अप्रार्थी ने कोई अवहेलना नहीं की है।  
 बन्दोबस्त की कार्यवाही चालू होने की वजह से राजस्व अभिलेख बन्दोबस्त  
 विभाग में चला गया और इसके बाद सन् 1980 में यह ग्राम तहसील  
 कोटपुतली जिला जयपुर में सम्मिलित हो जाने के कारण रिपोर्ट में नहीं हो  
 पाया, बल्कि विवायक ही दर्ज रह गयी और अप्रार्थी की कबिज  
 काइल की कबिज भूमि को विवायक मानकर सीको को बच दी गयी। अप्रार्थी  
 को आराजी विवादस्पद के खतदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। राजस्व  
 रिपोर्ट में खतदारी दर्ज करने का पूर्ण दायित्व स्वयं प्रार्थी का था, जो उनके  
 द्वारा नहीं किया गया। प्रार्थी (लौह होल्डर तहसीलदार कोटपुतली) को  
 गलती की सजा अप्रार्थी (आवंटन) को नहीं दी जा सकती। कर्तव्य रूप से  
 की अब 30 साल के अन्तराल के पश्चात् आवंटन निरस्त नहीं किया जा  
 सकता। अप्रार्थी को कबिज प्रयोजनार्थ आवंटन की गयी भूमि से अप्रार्थी  
 अलाट की आवंटित की गयी भूमि से बिना बदखल किये एवं विधिवत किया  
 गया आवंटन आदेश दिनांक 27/2/1976 को निरस्त किये जाने तथा  
 अप्रार्थी को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उसकी पीठ  
 पीठ से तहसीली अप्रार्थी रिपोर्ट को पुनः किया गया आवंटन आदेश पूर्णतया  
 न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत गैर कानूनी एवं अप्रासंगिक होने  
 के कारण अपील के हक है। अतः अपील

अ

अ

*[Handwritten mark]*

अपने जवाब में वरिष्ठ अभिकर्तियों को दौहराते हुए निर्देन किया कि तस्वीर अपार्थी संख्या 2 को औद्योगिक प्रयोजनार्थ ग्राम केशवाना गूर्जर तहसील कोटपूतली में दिनांक 01 जनवरी 1993 को कुल रकबा 178.42 हैक्टर भूमि का आवंटन किया गया था, जिसमें प्रथमतः प्रकरण में वर्णित आराजी विवादस्पद ख.नं. 32/22.00 बंजड़ भी सम्मिलित है। तस्वीर अपार्थी संख्या 2 रीको को आवंटन की गयी उक्त समस्त भूमि की प्रामियम राशि रूपये 12698932 /- का तहसीलदार कोटपूतली को दिनांक 16/8/1994 को भूगतान करने पर उनके द्वारा दिनांक 15/8/1994 को उक्त भूमि का भौतिक रूप से कब्जा अपार्थी संख्या 2 रीको को सम्मलवा दिया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी एसबी सिविल रिट पेटिशन संख्या 3377/2005 में पारित निर्णय दिनांक 05/5/2006 की पालना में कथित आवंटी/अतिक्रमियों के कुरे संरचनाएं इत्यादि के मुआवजे की राशि रु. 506674 /- का भूगतान भी बैंक संख्या 321763 दिनांक 30/6/2006 को सम्बन्धित हिलवड व्यक्तियों को किया जावे, के लिए उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली में जमा करवा दिया गया है। अब अपार्थी संख्या 01 का उक्त आराजीयार्त से कोई लालक वास्ता नहीं है। मौके पर तस्वीर अपार्थी संख्या 2 रीको को भौतिक रूप से कब्जा है, जो रिपोर्ट व मौके की स्थिति से भी प्रमाणित है। अतः अपार्थी संख्या 01 के हक में किया गया भू-आवंटन आदेश तस्वीर अपार्थी संख्या 02 के हक हककों के प्रति शून्य एवं बेअसर होने निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने उभयपक्षों की बहस पर गौर किया तथा पत्रावली के तथ्यों एवं रिपोर्ट व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। विवादित साबिक आराजी खसरा नम्बर 25 रकबा 4 बीघा बाके मौजा केशवाना गूर्जर अपार्थी संख्या 01 मंगलम स्यानखन्द रवुनाथ पुत्र नारायण बमार निवासी बडबास तहसील कोटपूतली को आवंटन होना नकल भू-आवंटन सलाहकार समिति आदेश दिनांक 27/2/1976 से सिद्ध होता है। परन्तु उक्त आवंटन आदेशों की शर्तों की पालना की जाने के सम्बन्ध में आवंटी अपार्थी संख्या 01 की ओर से कोई रिपोर्ट साहदत प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा ना ही उक्त विवादित आराजीयार्त पर अपने भौतिक रूप से कब्जे काबल को साबित करवाया है। राजस्व अभिलेख में भी अलाटी अपार्थी संख्या 01 के नाम और खतोदारी/खतोदारी दर्ज नहीं प्रकट होती है। नाथव तहसीलदार कोटपूतली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 10/2/2017 से भी आराजी विवादस्पद प्रार्थी संख्या 1 के बजाय तस्वीर अपार्थी संख्या 2 का नाम राजस्व रिपोर्ट में दर्ज होना तथा उन्ही का भौतिक रूप से कब्जा होना जाहिर होता है। इस प्रकार अपार्थी संख्या 1 के हक में किया गया आक्षेपित भू आवंटन आदेश मान एक कानूनी अलाटमेंट होने से स्वतः ही खारिज योग्य है। दूसरी ओर उक्त आराजी विवादस्पद मौके पर खाली होने तथा राजस्व अभिलेख में राजकीय सिवायक दर्ज होने कह वजह से तस्वीर अपार्थी संख्या 2 के हक में अलाटमेंट की गयी है तथा नियमानुसार प्रामियम की राशि जमा करवाने के बाद उन्हे भौतिक रूप से मौके पर कब्जा सम्मलवाया गया है तथा राजस्व अभिलेख में उसका नाम दर्ज किया गया है, जो आज भी बदस्तूर मौजूद है। ऐसी परिस्थिती में अलाटी अपार्थी संख्या 01 के उक्त आराजी विवाद प्रस्त में कोई हक हकको खतोदारी उत्पन्न नहीं होते है।

फलतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र/अपील अन्तर्गत दफा 14(4) भू राजस्व अभिनियम स्वीकार की जाकर ग्राम केशवाना गूर्जर तहसील में स्थित साबिक आ.ख.नं. 25 से बरामद हुये हाल खसरा नम्बर 32 रकबा 22 हैक्टर में से अपार्थी संख्या 01 के हक में अलाटमेंट किये गये रकबे की सीमा तक के भू आवंटन सलाहकार समिति का भूमि आवंटन आदेश दिनांक 27/2/1976 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22/02/2017 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सौनाया गया।